



वन उत्पादकता संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)
(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)
लालगुटवा, एन. एच.-23, गुमला रोड, राँची-835303 (झारखण्ड)
INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY
(Indian Council of Forestry Research & Education)
(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt of India)
Lalgutwa, Gumla Road, N.H.-23, Ranchi-835303 (Jharkhand)
E-mail : dir_ifp@icfre.org, ifpranchi2018@gmail.com
Website : http://ifp.icfre.gov.in



Phone : 0651- 2526140
2526150

फाईल संख्या स्थापना-III-17/2001-2002 / 984

दिनांक 30 अगस्त, 2022.

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

आधिकारिक पत्रों, आदेशों इत्यादि को संबंधित कार्यालयों, अधिकारियों एवम् कर्मियों के बीच संप्रेषित करने के क्रम में कागजों की खपत को कम करने के उद्देश्य से परिषद द्वारा ईमेल और अन्य मीडिया अनुप्रयोगों के माध्यम से इसका वितरण एवम् प्रसारण सुनिश्चित करने पर समय-समय पर जोर दिया गया है। विदित हो कि परिषद के निर्देश के आलोक में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर सम्बंधित कार्यालय आदेश निर्गत किये जाते रहे हैं, तथापि ऐसा पाया जा रहा है कि ईमेल और अन्य मीडिया के माध्यम से भेजे गये पत्रों पर समयबद्ध अवधि में यथोचित कार्रवाई नहीं की जा रही है जो आपातिजनक है।

अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस संस्थान के सभी प्रभागाध्यक्षों, प्रभारियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि स्वयं के ईमेल (ICFRE) को प्रतिदिन दो-बार अवश्य जाँच करें तथा सम्बंधित पत्राचार, आदेश, परिपत्र एवम् अन्य सूचनाओं के हार्ड कॉपी की प्रतीक्षा किए बिना समयबद्ध अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें। ईमेल में भेजे गये सूचना और कार्यों को मौखिक रूप से उन कर्मियों के ध्यान में भी लाया जाय जिनके पास ईमेल की सुविधा नहीं है ताकि समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित हो सके। विदित हो कि उपरोक्त आवश्यक कार्यों के अनुपालन में विफलता की स्थिति में संबंधित अधिकारियों एवम् कर्मियों पर जवाबदेही तय की जा सकती है।

(डॉ. नितिन कुलकर्णी)
निदेशक

ईमेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रतिलिपि :

1. समूह समन्वयक (अनुसंधान), व.उ.सं., राँची।
2. सभी प्रभागाध्यक्ष, वन उत्पादकता संस्थान, राँची (ईमेल या अन्य सूचना तंत्र द्वारा)।
3. संपदा अधिकारी, वन उत्पादकता संस्थान, राँची।
4. क्रय एवं भंडार अधिकारी, व.उ.सं., राँची।
5. निदेशक के निजी सचिव, वन उत्पादकता संस्थान, राँची। कार्यालय एवम् वाह्य केंद्रों के समस्त अधिकारी एवम् कर्मियों को ईमेल या अन्य सूचना संचार माध्यम से प्रसारित करने हेतु।
6. सूचना एवं प्रौद्योगिकी, व.उ.सं., राँची। वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
7. आहरण एवं निकासी अधिकारी एवं प्रभारी (प्रशासन), व.उ.सं., राँची।
8. अनुभाग अधिकारी, व.उ.सं., राँची।।
9. प्रभारी, ई.आर.एस., सुकना।
10. प्रभारी, वन अनुसंधान और विस्तार केंद्र, पटना।
11. प्रभारी, वन अनुसंधान केंद्र, मांडर।
12. प्रभारी, एन. बी. फार्म, चंदवा।
13. नोटिस पटल (दोनों भवन)।
14. गार्ड फाईल।